

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-०१/स्था० (विविध)-३४/२०२२ (पार्ट) /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-

जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-४५४ दिनांक-३१.०७.२०२६ एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-९५९ दिनांक-२१.०७.२०२६ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न विवरणी के कॉलम-२ में अंकित पदाधिकारियों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७ की धारा-४१ के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त कॉलम-३ में अंकित नगर निकाय का प्रभार दिया जाता है :-

क्र०	नाम, पदनाम एवं नगर निकाय का नाम	अतिरिक्त प्रभार
१	२	३
१	श्री मयंक कुमार, बि०न०से०, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जोगबनी	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फारबिसगंज
२	श्री अरविन्द कुमार, बि०न०से०, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमदाबाद	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी

२. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(मनन राम)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था० (विविध)-३४/२०२२ (पार्ट) ८१३० /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- ०५/०८/२६
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/अररिया/नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री मयंक कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जोगबनी/श्री अरविन्द कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमदाबाद/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फारबिसगंज/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(७) ५/०८/२६
सरकार के विशेष सचिव।